भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3254

12 मार्च, 2026 को उत्तर दिये जाने के लिए

पीएमएवाई-यू और पीएमएवाई-यू 2.0 के अंतर्गत निधि

†3254. श्री वरुण चौधरीः

श्रीमती रचना बनर्जीः

क्या आवासन और शहरी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) शुरुआत से लेकर अब तक प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) और पीएमएवाई-यू 2.0 के तहत बजट अनुमान और वास्तविक व्यय का ब्यौरा क्या है और विशेषकर वर्ष 2025-26 के दौरान आवंटित और उपयोग की गई राशि का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) हरियाणा में इस योजना के अंतर्गत चिह्नित किए गए व्यक्तियों/परिवारों की संख्या कितनी है और अब तक कितने आवास पूरे किए जा चुके हैं;

(ग) उस अंतिम सर्वेक्षण की तिथि क्या है जिसके आधार पर इन व्यक्तियों को चिह्नित किया गया था; और

(घ) वह समय-सीमा क्या है जिसके भीतर सभी पहचाने गए व्यक्तियों को बुनियादी सुविधाओं के साथ पक्का घर उपलब्ध करा दिया जाएगा?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री

(श्री तोखन साहू)

(क) से (घ): आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) ने 25.06.2015 से प्रधान मंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) का कार्यान्वयन कर रहा है, जिसका उद्देश्य देश भर में सभी पात्र शहरी लाभार्थियों को बुनियादी नागरिक सुविधाओं वाले हर मौसम में रहने योग्य पक्के आवास उपलब्ध कराना है। पीएमएवाई-यू के कार्यान्वयन के अनुभवों से प्राप्त सीख के आधार पर, मंत्रालय

ने योजना को नया रूप दिया है और देशभर के शहरी क्षेत्रों में कार्यान्वयन के लिए 01.09.2024 से पीएमएवाई-यू 2.0 'सभी के लिए आवास' मिशन शुरू किया है, ताकि अगले पांच वर्षों में 1 करोड़ अतिरिक्त पात्र लाभार्थी किफायती लागत पर आवास बना, खरीद और किराये पर ले सकें।

पीएमएवाई-यू और पीएमएवाई-यू 2.0 का दृष्टिकोण मांग आधारित है, जिसमें राज्य/संघ राज्य क्षेत्र (यू टी) अपने-अपने क्षेत्राधिकार में शहरी स्थानीय निकायों (यू एल बी)/कार्यान्वयन एजेंसियों के माध्यम से आवश्यकता का आकलन करते हैं। पात्र नागरिक अपने सभी विवरण के साथ पीएमएवाई-यू 2.0 के एकीकृत वेब पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/यूएलबी इस योजना दिशानिर्देशों के पात्रता मानदंडों के अनुसार लाभार्थियों का सत्यापन करते हैं और लाभार्थी सूचियों का चयन/जांच राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा की जाती है। इस योजना के दिशानिर्देशों और ऑनलाइन आवेदन जमा करने के लिए एकीकृत वेब पोर्टल को https://pmay-urban.gov.in पर देखा जा सकता हैं। मांग सर्वेक्षण और लाभार्थियों के चयन के आधार पर, परियोजना प्रस्ताव तैयार किए जाते हैं और राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली राज्य स्तरीय स्वीकृति एवं निगरानी समिति (एसएलएसएमसी) द्वारा अनुमोदित किए जाते हैं, ताकि केंद्रीय स्वीकृति एवं निगरानी समिति (सी एस एम सी) द्वारा केंद्रीय सहायता जारी करने पर आगे विचार किया जा सके।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रस्तुत परियोजना प्रस्तावों के आधार पर, मंत्रालय द्वारा अब तक देश भर में कुल 125.15 लाख आवासों को अनुमोदित किया गया है, जिनमें पीएमएवाई-यू 2.0 के तहत 13.67 लाख आवास सम्मिलित हैं। स्वीकृत आवासों में से 116.57 लाख आवासों की नींव रखी जा चुकी है; देश भर में 02.03.2026 तक 97.30 लाख आवास पूर्ण हो चुके है/लाभार्थियों को सौंपे जा चुके हैं। पीएमएवाई-यू/पीएमएवाई-यू 2.0 के तहत बजट अनुमान (बीई), संशोधित अनुमान (आरई) और अतिरिक्त बजटीय संसाधनों (ईबीआर) के माध्यम से उपलब्ध कराई गई निधि और उन पर किए गए व्यय का वर्ष-वार विवरण अनुलग्नक-I में दिया गया है। पीएमएवाई-यू/पीएमएवाई-यू 2.0 के अंतर्गत शुरूआत से अब तक जारी और उपयोग की गई केंद्रीय सहायता का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों-वार चालू वित्तीय वर्ष का विवरण अनुलग्नक-II में दिया गया है।

हरियाणा राज्य द्वारा प्रस्तुत परियोजना प्रस्तावों के आधार पर, मंत्रालय द्वारा इस योजना के अंतर्गत कुल 1,32,982 आवासों को स्वीकृति दी गई है, जिसमें पीएमएवाई-यू 2.0 के तहत

18,315 आवास सम्मिलित हैं। स्वीकृत कुल आवासों में से, कुल 86,861 आवासों का निर्माण कार्य प्रारंभ हो चुका है, जिनमें से 73,313 आवास पूर्ण किए जा चुके हैं और 02.03.2026 तक लाभार्थियों को सौंपे जा चुके हैं।

मंत्रालय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ नियमित रूप से योजना की प्रगति की समीक्षा करता है ताकि स्वीकृत आवासों का निर्माण निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा हो सके। हरियाणा सरकार की ओर से मंत्रालय में अनुमोदन के लिए कोई और प्रस्ताव लंबित नहीं है।

*****

दिनांक 12-03-2026 को उत्तर दिए जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3254 के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक-I

पीएमएवाई-यू और पीएमएवाई-यू 2.0 के तहत वर्ष-वार बजट अनुमान (बीई), संशोधित अनुमान (आरई) और वास्तविक व्यय

(करोड़ रूपये में)

वित्त वर्ष	**आवंटित निधियां**			**व्यय**	
	बी.ई.	**आरई**	**ईबीआर**		
2014-15 तक	0	0	0	2,129	100%
2015-16	5,088	1,663	0	1,486	89%
2016-17	5,075	4,936	0	4,873	99%
2017-18	6,043	8,642	8,000	16,591	100%
2018-19	6,505	6,505	20,000	26,144	99%
2019-20	6,853	6,853	15,000	21,851	100%
2020-21	8,000	21,000	10,000	30,996	100%
2021-22	8,000	27,024	0	26,963	100%
2022-23	28,000	28,708	0	28,653	100%
2023-24	25,103	21,703	0	21,684	100%
2024-25	30,171	15,170	0	6,595	43%
2025-26	25,794	7,900	0	6,773	86%
कुल	**1,54,632**	**1,50,104**	**53,000**	**1,94,738**	**95%**

दिनांक 12-03-2026 को उत्तर दिए जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3254 के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक-II

पीएमएवाई-यू और पीएमएवाई-यू 2.0 के तहत शुरूआत से और वित्त वर्ष 2025-26 में जारी और उपयोग की गई केंद्रीय सहायता का विवरण

क्रम संख्या		राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	वित्तीय प्रगति (करोड़ रूपये में)			
			शुरूआत से केंद्रीय सहायता		वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान केंद्रीय सहायता	
			जारी की गई	उपयोग की गई	जारी की गई	उपयोग की गई *
1	राज्य	आंध्र प्रदेश	24,045.06	22,687.88	16.82	735.86
2		बिहार	4,651.96	4,651.96	905.89	1,370.96
3		छत्तीसगढ़	4,464.22	4,230.98	83.32	163.98
4		गोवा	75.15	75.15	0.11	0.21
5		गुजरात	20,269.68	20,029.61	332.28	391.39
6		हरियाणा	1,739.48	1,457.63	2.95	5.88
7		हिमाचल प्रदेश	227.00	218.36	6.61	12.45
8		झारखंड	3,215.81	3,041.69	75.69	122.38
9		कर्नाटक	7,777.24	7,320.99	164.87	173.63
10		केरल	2,500.01	2,409.95	50.41	127.07
11		मध्य प्रदेश	15,878.19	15,638.14	246.60	585.98
12		महाराष्ट्र	20,241.97	19,761.39	102.74	944.84
13		ओडिशा	2,790.27	2,536.84	107.19	107.54
14		पंजाब	2,193.47	1,873.75	26.92	32.42
15		राजस्थान	5,595.87	5,491.63	451.28	757.71
16		तमिलनाडु	10,742.96	10,686.52	343.64	483.44
17		तेलंगाना	3,973.48	3,973.48	208.40	342.49
18		उत्तर प्रदेश	29,146.67	28,102.61	1,376.09	1,526.85
19		उत्तराखंड	1,113.11	1,025.35	40.84	82.34
20		पश्चिम बंगाल	8,921.18	8,730.54	534.28	1,242.65
उप-कुल (राज्य)			**1,69,562.81**	**1,63,944.45**	**5,076.88**	**9,210.10**

21	पूर्वोत्तर राज्य	अरुणाचल प्रदेश	212.09	192.93	26.76	31.76
22		असम	2,502.61	2,502.61	267.00	398.13
23		मणिपुर	582.37	468.58	0.04	0.05
24		मेघालय	76.70	40.70	7.53	8.04
25		मिजोरम	520.36	517.29	39.83	70.07
26		नागालैंड	443.36	434.76	26.49	84.93
27		सिक्किम	7.09	4.30	-	-
28		त्रिपुरा	1,363.73	1,285.94	31.38	31.44
उप-कुल (पूर्वोत्तर राज्य)			**5,708.32**	**5,447.12**	**399.03**	**624.42**
29	संघ राज्य क्षेत्र	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	3.724	2.89	-	0.00
30		चंडीगढ़	28.85	28.85	-	0.08
31		दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव	210.31	201.83	1.78	7.53
32		दिल्ली	701.32	701.32	8.79	17.58
33		जम्मू और कश्मीर	586.00	434.50	0.02	1.75
34		लद्दाख	26.74	12.50	-	-
35		पुडुचेरी	252.89	198.66	19.93	0.88
उप-कुल (यूटी)			**1,809.85**	**1,580.56**	**30.52**	**27.82**
कुल योग			**1.77 लाख करोड़**	**1.71 लाख करोड़**	**5,506.43**	**9,862.34**

* इसमें पिछले वर्षों में जारी की गई निधियों में से वर्ष के दौरान उपयोग की गई केन्द्रीय सहायता शामिल है।